187

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्ष एम.के. सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1667–I/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.05.2015 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जबलपुर प्रकरण क्रमांक 5/बी–121/2013–14

उमाथंकर दाहिया पुत्र श्री जगदीथ प्रसाद दाहिया
निवासी– ग्राम सुहागी तहसील पनागर
जिला – जबलपुर (म.प्र.) –– आवेदक

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन, द्वारा कलेक्टर,
जिला – जबलपुर (म.प्र.) –– अनावेदक

श्री के.के. द्विवेदी, श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक आवेदक
श्री बी.एन. त्यागी, सूची अभिभाषक

आदेश

(आज दिनांक 18./.11./2016)

यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर के प्रकरण क्रमांक 5/बी–121 /2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक के पूर्वजों को भूतपूर्व मालगुजार द्वारा ग्राम सुहागी में ग्राम की सामुदायिक कोटवारी सेवा के एवज् में सन् 1909–10 में मौजा सुहागी प.ह.न. 62 महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर स्थित भूमि पुराना खसरा नं. 51 नया खसरा नं. 71 रकवा 2.38 एकड़ जो राजस्व अभिलेखों में आवेदक के पूर्वज इच्छाराम बल्द मुल्ली दहायत के नाम दर्ज है। जो बाद में वर्ष 1954–55 में खसरा क्रमांक 51 का रकवा 2.37 एकड़ राजस्व अभिलेख बसोरेलाल जोकि आवेदक के दादा थे के नाम दर्ज है। वर्तमान में उक्त भूमि आवेदक के नाम दर्ज है भूमि मालगुजारी के दौरान आवेदक के पूर्वज स्व. श्री इच्छाराम बल्द

मुल्ली दहायत को भूतपूर्व मालगुजार द्वारा ग्राम के सामुदायिक कोटवारी की एवज् में सन् 1909–10 में कृषि प्रयोजन हेतु दी गयी थी। स्व. श्री इच्छाराम दहायत की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि पर इच्छाराम के पुत्र लालमन बतौर कोटवार काबिज रहे। तथा लालमन की मृत्यु के पश्चात् उनके पुत्र बसोरेलाल के बाद उनकी पत्नी सरस्वती बाई तथा सरस्वती बाई के पश्चात् उनका नाती वर्तमान आवेदक उमाशंकर दाहिया पिता जगदीश प्रसाद दाहिया उक्त भूमि पर काबिज चला आ रहा है। इस प्रकार विगत 107 वर्षो से आवेदक तथा उसके पूर्वजो को निरन्तर कब्जा चला आ रहा है राजस्व अभिलेख में वर्ष 1909–10 के मिसिल बंदोबस्त कॉलम नं. 6 में उक्त भूमि माफी खिदमती कोटवारी के रूप में दर्ज थी तथा म.प्र. भूराजस्व संहिता 1954 के लागू होने तक माफी खिदमती के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज चली आती रहीं। भू–राजस्व संहिता 1954 के लागू होने पर उक्त भूमि कास्तकार के साथ ग्राम नौकर के रूप में राजस्व अभिलेखों मे दर्ज रही तथा म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (नवीन संहिता) लागू होने पर उक्त भूमि कोटवार ग्राम नौकरी सेवा खातेदार के रूप में दर्ज कर दी गयी। नवीन संहिता प्रावधानो के अनुसार उक्त भूमि में आवेदक के पूर्वजो को धारा 185 के अन्तर्गत मौरूसी कृषक हक प्राप्त होने तथा मालगुजार द्वारा भूमि को पुर्नग्रहण हेतु निर्धारित अवधि मे धारा 189 के अन्तर्गत आवेदन नहीं करने से आवेदक के पूर्वजो को संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत भूमि स्वामी अधिकार म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम 1950 की धारा 45 (3) के प्रत्यक्षतः के लागू होने से वैष्ठन दिनांक भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते है परन्तु राजस्व अभिलेखों में आवेदक के पूर्वजो को भूमि स्वामी के रूप में दर्ज न कर उक्त भूमि सेवाखातेदार के रूप मे विधि रूप से दर्ज चली आ रही है उक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी के दर्ज किये जाने हेतु आवेदक द्वारा रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की गयी थीं जो अन्तिम आदेश दिनांक 02.04.2013 को यह निर्देश दिये गये कि उनके द्वारा पूर्व में इसी विषय वस्तु से संबंधित अन्य रिट याचिका क्रमांक 939/09 में दिये गये आदेश प्रभावशील होगे इसलिये उक्त आदेश का हवाला देते हुये आवेदक द्वारा एक आवेदन पत्र अपर कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसपर अपर कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन तलब किया। जिसपर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार पनागर द्वारा राजस्व निरीक्षक उक्त संबंध में प्रतिवेदन तलब किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपना प्रतिवेदन मय पंचनामा के प्रस्तुत किया। जिसकी कण्डिका नं. 8 में उक्त भूमि में आवेदक को मालिकाना हक में प्रदान करने की अनुशंसा की गयी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रतिवेदन पर विधिवत् विचार किये बिना आदेश दिनांक 22.05.2015 को आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओ पर उभय पक्षों के अभिभाषको के तर्क सुने तथा आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक की और से उठाये गये तथ्यो पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया है। क्योंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक एफ–2–6/07/सात–एक भोपाल दिनांक 03.03.2010 का अवलोकन किये बिना आदेश पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। प्रश्नाधीन भूमि के राजस्व अभिलेखो में वर्ष 1909–10 से आवेदक के पूर्वजो का नाम खिदमती ग्राम नौकर के रूप में दर्ज था। तथा वर्तमान में भी उक्त प्रश्नाधीन भूमि में आवेदक के नाम पर सेवा भूमि के रूप में दर्ज है जो स्पष्ट करता है कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान भू–राजस्व संहिता की लागू होने के पूर्व से हीं आवेदक के पूर्वजो के नाम से दर्ज थीं। उसपर निरन्तर आवेदक के पूर्वजो कब्जा चला आ रहा है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा तर्को में यह भी बताया कि वर्तमान संहिता की धारा 185 के प्रावधानो के अन्तर्गत मौरूसी कास्तकार की श्रेणी में आने तथा धारा 190 के अन्तर्गत स्वतः भूमि स्वामी अधिकार प्रोदभूत हो चुके है। इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया विवादित भूमि आवेदक के पूर्वजो को मालगुजार द्वारा सामुदायिक कोटवारी के एवज् में वर्ष 1909–10 में प्रदान की गयी थी तथा उक्त भूमि पर लगभग 106 वर्षो से आवेदक एवं उनके पूर्वजो का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा राजस्व अभिलेखों में भी मिसल बंदौबस्त के क्रमांक नं. 6 पर उक्त भूमि खिदमती कोटवारी के रूप में दर्ज थी। तथा म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1954 (पुरानी संहिता) के लागू होने तक माफी खिदमती के रूप में राजस्व अभिलेखों मे दर्ज चली आती रही भू–राजस्व संहिता 1954 के लागू होने उक्त भूमि कास्तकार के साथ ग्राम नौकर के रूप में राजस्व अभिलेखो में दर्ज हुयी तथा म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (नवीन संहिता) लागू होने पर उक्त भूमि कोटवार ग्राम नौकरी सेवा खातेदार के रूप में दर्ज कर दी गयी। नवीन संहिता के प्रावधानो के अनुसार उक्त भूमि में आवेदक के पूर्वजो को धारा 185 के अन्तर्गत मौरूसी कृषक के हक प्राप्त होने तथा मालगुजार द्वारा भूमि को पुर्न ग्रहण हेतु निर्धारित अवधि में धारा 189 के अन्तर्गत आवेदन नहीं करने से आवेदको के पूर्वजो को संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत भूमि स्वामी अधिकार म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम 1950 की धारा 45 (3) की प्रत्यक्षतः लागू होने से वैष्ठित दिनांक से भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते है परन्तु राजस्व अभिलेखों में आवेदक के पूर्वजो को भूमि स्वामी के रूप में दर्ज न कर उक्त भूमि सेवाखातेदार भूमि के रूप में विधि विरूद्व आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने एवं उपरोक्त भूमि पर आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किये जाने का

निवेदन किया गया। अनावेदक शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप सं यह बताया कि उपरोक्त प्रकरण में विधिवत् जॉच करने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा जो आदेश दिनांक 22.05.2015 पारित किया है वह विधिवत् एवं सही होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा वर्तमान निगरानी को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

4– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों का सूक्ष्म अवलोकन किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के पूर्वजो को मालगुजार द्वारा सामुदायिक कोटवारी के एवज् में वर्ष 1909–10 में प्रदान की गयी था तथा उक्त भूमि पर 106 वर्षो से आवेदक एवं उसके पूर्वजो का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है तथा राजस्व अभिलेखों में मिसिल बंदोबस्त के क्रमांक नं. 6 पर उक्त भूमि माफी खिदमती कोटवारी के रूप में दर्ज है म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1954 के लागू होने तक माफी खिदमती के रूप में दर्ज रही। संहिता 1954 के लागू होने पर भूमि कास्तकार के साथ ग्राम नौकर के रूप में दर्ज की गयी भू–राजस्व संहिता सन् 1959 के लागू होने पर उक्त भूमि कोटवार ग्राम नौकरी सेवाखातेदार के रूप में दर्ज कर दी गयी। यह प्रविष्टी त्रुटिपूर्ण है क्योंकि नवीन संहिता के अनुसार आवेदक के पूर्वजो को धारा 185 के अन्तर्गत मौरूसी हक प्राप्त होने पर तथा मालगुजार द्वारा भूमि को पुर्न ग्रहण हेतु निर्धारित अवधि में धारा 189 के अन्तर्गत आवेदन नहीं करने से आवेदक के पूर्वजो को संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत भू–स्वामी अधिकारी स्वतः प्राप्त हो गये है इसके अलावा म.प्र. स्वत्व समाप्ति अधिनियम 1950 की धारा 45 (3) के लागू होने से वैष्ठित दिनांक से भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त हो जाते है। परन्तु राजस्व अभिलेखों में आवेदक के पूर्वजो को भूमि स्वामी के रूप में दर्ज न कर उक्त भूमि सेवाखातेदार के रूप में दर्ज कर दी गयी है, यह कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जॉच करायी जाकर प्रतिवेदन बुलाया गया था उपरोक्त प्रतिवेदन की कण्डिका 8 में आवेदक को मालिकाना हक प्रदान करने की अनुशंसा की गयी थी किन्तु उपरोक्त स्थिति पर कोई विचार नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ द्वारा रिट याचिका क्रमांक 2632/2000 छबिलदास व अन्य के प्रकरण दिनांक 30.10.2001 के आदेश से दुर्ग जिले के 11 ऐसे कोटवारो को जिन्हे मालगुजारो द्वारा नवीन संहिता लागू होने के पूर्व कृषि भूमि दी गयी थी भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किया गया। इसी प्रकार रिट याचिका प्रकरण क्रमांक 2064/2000 में पारित निर्णय दिनांक 03.05.2001 के द्वारा 36 अन्य कोटवारो को भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किये जाने का आदेश पारित किया गया। अपर कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा उपरोक्त न्यायदृष्टातो को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है। अपर कलेक्टर द्वारा राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 25. 08.2006 के आधार पर स्वत्व समाप्ति अधिनियम की धारा 45 (2) के लागू होने

के आधार पर कोटवार को भूमि स्वामी अधिकार सेवा भूमि पर अर्जित नहीं होने के कारण आदेश पारित किया है जबकि राजस्व विभाग द्वारा इस संबंध मे समय–समय पर अनेक परिपत्र जारी किये गये है राजस्व विभाग द्वारा जारी अन्तिम परिपत्र दिनांक 03.03.2010 स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि मालगुजारी के समय दी गयी भूमियों पर विधि अनुसार पात्रता की परीक्षण करते हुये मालिकाना हक दिया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा इन बिन्दुओ पर परीक्षण किया जाये (1) क्या मालगुजारो द्वारा कोई भूमि दी गयी है ? (2) क्या यह भूमि कोटवारो को सेवा भूमि के रूप में दी गयी है ? (3) विधि अनुसार परीक्षण किया जाये ? (4) संबंधित को विधि अनुसार पात्र होना चाहिये ? (5) मालगुजारी की दी गयी भूमि का उपयोग वर्तमान कोटवार द्वारा किया जा रहा है अथवा उसके उत्तराधिकारी द्वारा। अपर कलेक्टर जबलपुर राजस्व विभाग के उक्त परिपत्र में दिये गये दिशा निर्देशों को विधि की कसौटी पर न परखते हुये पुराने परिपत्र के आधार पर आदेश पारित किया गया है वह न्यायिक एवं विधिसम्मत् नहीं है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा म.प्र. स्वत्व समाप्ति (एस्टेट्स, महल्स, संक्रात भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45 (2) एवं 45 (3) को समुचित रूप से नहीं समझा गया है उक्त अधिनियम की धारा 45 (2) के अनुसार "Any person holding land as village service land shall be defined to be holding it from the State and shall bo governed by the provisions contained in sections 42 to 48 of the central provincos Tenanoy Act, 1920."

उक्त अधिनियम की धारा 45 (3) के अनुसार :–

" Any person holding land other than 'Sir' land from the proprieter on favourable terms for services rendered by him shall from the date of vesting be declaired to be an occupancy tenant of the state and the deputy commissioner shall fix the rent to be paid by him."

अधिनियम की धारा 45 (3) से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति अपनी सेवाओ के बदले जो मालगुजार से मालगुजार की खुदकाश्त भूमि को छोडकर भूमि favourable terms में प्राप्त करता है वैष्ठन दिनांक से उक्त भूमि को मौरूसी कृषक घोषित किया जायेगा। तथा भूमि का राजस्व उपायुक्त द्वारा नियत किया जायेगा। प्रश्नाधीन मालगुजार की खुदकाश्त भूमि नहीं थी अपितु कोटवार द्वारा दी गयी सामुदायिक सेवा के बदलें मालगुजार द्वारा दी गयी थी उक्त भूमि तत्कालीन राजस्व अभिलेखों में माफी खिदमती के रूप में दर्ज है अर्थात् मालगुजार द्वारा उक्त भूमि सेवा के बदले लगान मुक्त भूमि के रूप में प्रदान की गयी थी जो स्पष्ट रूप से favourable terms के अन्तर्गत आती है इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमियों पर म. प्र. स्वत्व समाप्ति समाप्ति (एस्टेट्स, महल्स, संक्रात भूमि) अधिनियम 1950 की धारा 45 (3) लागू होती है। उमांशकर दाहिया तथा उसके पूर्वज प्रश्नाधीन भूमियों

पर लगातार काबिज रहे तथा वर्ष 1909–10 से ही लगातार कोटवारी के रूप में गॉवो की सेवा करते रहे प्रश्नाधीन भूमियो पर उपरोक्त धारा 45(3) के अन्तर्गत उमाशंकर दाहिया मौरूसी कृषक हो जाते है जिसे संहिता की धारा 190 के अन्तर्गत पूर्व में दी गयी विवेचना के आधार पर भूमि स्वामी अधिकार प्रोदभूत हो जाते है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुये अपर कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा उक्त विधिक स्थिति को अनदेखा कर आदेश पारित किया है अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर जिला जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/बी–121/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22.05.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एवं प्रश्नाधीन भूमि मौजा सुहागी प.ह.न. 62 रा.नि.म. महाराजपुर तहसील पनागर जिला जबलपुर में स्थित भूमि पुराना खसरा नं. 51 नया खसरा नं. 71 रकबा 2.38 एकड़ के राजस्व अभिलेखो में आवेदक का नाम भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार राजस्व अभिलेख दुरूस्त करें।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर